न्यायालय तालुका विधिक सेवा(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या–02)केकड़ी
राष्ट्रीय लोक अदालत–2022 मुकाम भिनाय
प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./60/2020

1. ऐजन पत्नी रामकुंवार जाति लखारा निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय अजमेर
2. बच्छराज पुत्र रामकुंवार जाति लखारा निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय अजमेर
3. हंसराज पुत्र रामकुंवार जाति लखारा निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय अजमेर

प्रार्थीगण

बनाम

1. शम्भू प्रकाश पुत्र गोपाल जाति ब्राह्मण निवासी भगवानपुरा तहसील सरवाड़ अजमेर
2. शिवराज सिंह पुत्र सुजान सिंह जाति राजपुत निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय अजमेर
3. जगदीश प्रसाद पुत्र दामोदर प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय
4. श्रीमति सोहन पत्नी हिन्दू जाति भील निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय अजमेर
5. रामलाल पुत्र श्री गोकल जाति कुम्हार निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय अजमेर
6. रामकिशन पुत्र लादू जाति कुम्हार निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय अजमेर
7. सुमित्रा पत्नी ईश्वरचन्द जाति यादव निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय अजमेर
8. कैलाश पुत्र उगमा जाति कुम्हार निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय अजमेर
9. मैना बैगम पत्नी मेहरबान जाति पिन्जारा निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय अजमेर
10. इमरान खान पुत्र मेहरबान जाति पिन्जारा निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय अजमेर
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय अजमेर

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :– 1. वकील अप्रार्थी– धर्मवीर बामणिया
2. पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक– 13.08.2022

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि **मौजा देवलियांकलां पटवार क्षेत्र देवलियांकलां मू0अ0नि0 क्षेत्र देवलियांकलां के खाता सं0 1523 में दर्ज ख0न. 1046 रकबा 0.19, ख.न. 1047 रकबा 0.19, और ख.न. 1049 रकबा 0.16 कुल किता 03 कुल रकबा 0.54 है0** जो कि प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थी सं0 1 लगा0 10 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 11 जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं0 2 लगा0 10 को नियमानुसार नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में अपनी उपस्थिति नहीं देने पर अप्रार्थीगण सं0 2 लगा0 10 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं0 01 नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी पत्रावली में उपस्थित नहीं हुआ। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र में जवाब प्रस्तुत कर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रश्नगत आराजी प्रार्थी [illegible] आराजी होना स्वीकार करते हुए पत्थरगढी के आदेश जारी किया जाना [illegible]। [illegible] प्रार्थी और पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। दौरान बहस [illegible] प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा पेश [illegible] मुताबिक राजस्व [illegible] स्वीकार किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhat Tripathi
Date: 2022.10.05 15:31:26 IST
Reason: SelfAttested

अध्यक्ष
लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी, जिला-अजमेर

Scanned with CamScanner

[illegible] दिनांक 13.08.2022 [illegible]

(प्रभात त्रिपाठी)
सदस्य
रा0 लोक अदालत

([illegible])
अध्यक्ष
रा0 लोक अदालत
अध्यक्ष लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी, जिला-अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhat Tripathi
Date: 2022.10.05 15:51:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner